भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2175

जिसका उत्तर 12.02.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं

2175. श्री राजा राम सिंह:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर गड्ढों या सड़क की खराब सतह होने के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं, चोटों और मृत्यु की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2023 में गड्ढों से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोगों को स्थायी चोटें आई हैं और यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कितनी है;

(ग) इस अवधि के दौरान गड्ढों और सड़क के खराब सतह के कारण जनता से कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ऐसी शिकायतों के निवारण और समाधान में औसतन कितना समय लगता है;

(घ) गड्ढों, प्रकाश व्यवस्था की खराबी और अन्य खतरों का तुरंत पता लगाने और उनका निवारण करने के लिए वास्तविक समय निगरानी प्रौद्योगिकियों और उन्नत नागरिक रिपोर्टिंग प्रणालियों को अपनाने के किसी भी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सड़क सुरक्षा, रखरखाव की तत्परता और बिजली एवं नगरपालिका अधिकारियों के साथ बुनियादी ढांचे के समन्वय में सुधार के लिए प्रस्तावित या दी गई विशिष्ट समयसीमा कितनी हैं और बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर "भारत में सड़क दुर्घटनाएं" पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। राज्य पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2020 से 2024 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और शहरी सड़कों सहित सभी सड़कों पर गड्ढों के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और घयलों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। संबंधित राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। राजमार्ग रखरखाव और अन्य मुद्दों के संबंध में शिकायतें कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/पोर्टल जैसे राजमार्गयात्रा ऐप, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1033, जन शिकायत पोर्टल, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्राप्त होती हैं।

सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और इसके साथ ही जवाबदेह रखरखाव एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य-तंत्र विकसित किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं मुख्य रूप से तीन मोड अर्थात् (i) निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी), (ii) हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) और (iii) इंजीनियरिंग प्रापण और निर्माण (ईपीसी) में कार्यान्वित की जाती हैं। निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाओं के लिए रखरखाव सहित रियायत अवधि 15 से 20 वर्ष होती है, जबकि हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) के लिए यह आमतौर पर 15 वर्ष होती है। रियायतग्राही

परियोजना की रियायत अवधि के दौरान संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। केवल ईपीसी परियोजनाओं के मामले में, दोष देयता अवधि (डीएलपी) बिटुमिनस फुटपाथ कार्यों के लिए 5 वर्ष और कंक्रीट फुटपाथ कार्यों के लिए 10 वर्ष होती है।

टोल-संचालन-हस्तांतरण (टीओटी) और इनविट (अवसंरचना निवेश न्यास) परियोजनाओं के लिए, रखरखाव सहित रियायत अवधि 20 से 30 वर्ष होती है। संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) परियोजनाओं के लिए रियायत अवधि आम तौर पर 9 वर्ष होती है।

उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अलग से कोई रखरखाव व्यय दर्ज नहीं किया गया है। डीएलपी और रियायत अवधि के दौरान उपरोक्त अनुबंधों में किए गए व्यय का लेखा-जोखा नहीं किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के उन सभी शेष खंडों के लिए, जहां डीएलपी समाप्त हो चुका है या जो बीओटी/एचएएम/टीओटी/इनविट परियोजना की किसी रियायत अवधि के अंतर्गत नहीं हैं, वहां सरकार ने निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है। एसटीएमसी कार्य सामान्यतः 1-2 वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते हैं, जबकि पीबीएमसी कार्य लगभग 5-7 वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते हैं। वर्ष 2014-15 से ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव एवं मरम्मत (एम एंड आर) के लिए आवंटित निधियां और व्यय का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**आवंटन (**करोड़ रु. में)	**व्यय (**करोड़ रु.में)
2014-15	3,660	3,614
2015-16	3,856	3,701
2016-17	3,751	3,408
2017-18	3,655	3,358
2018-19	4,139	3,505
2019-20	3,418	3,011
2020-21	5,948	5,948
2021-22	5,214	5,135
2022-23	6,510	6,278
2023-24	6,581	6,523
2024-25	9,489	9,488
2025-26 (31.12.2025 तक)	8,843	7,071

अनुलग्नक

"राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं" के संबंध में श्री राजा राम सिंह द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2175 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

कलैंडर वर्ष 2020 के दौरान गड्ढों के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों की राज्यवार संख्या का विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दुर्घटनाएं	मौतें	गंभीर चोट	मामूली चोट	घायल व्यक्तियों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	13	8	6	11	17
असम	194	57	180	26	206
बिहार	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ	5	1	0	4	4
गोवा	0	0	0	0	0
गुजरात	6	6	4	2	6
हरियाणा	183	69	67	120	187
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
झारखंड	129	79	82	30	112
कर्नाटक	36	7	27	12	39
केरल	25	2	19	10	29
मध्य प्रदेश	439	96	85	409	494
महाराष्ट्र	61	39	44	5	49
मणिपुर	2	1	1	0	1
मेघालय	0	0	0	0	0
मिजोरम	1	1	0	0	0
नागालैंड	57	2	5	27	32
ओडिशा	174	80	93	53	146
पंजाब	102	78	25	8	33
राजस्थान	120	50	43	84	127
सिक्किम	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	522	128	327	226	553
तेलंगाना	58	36	2	33	35
त्रिपुरा	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	4	1	6	0	6
उत्तर प्रदेश	1447	759	594	377	971
पश्चिम बंगाल*	75	41	57	8	65
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	1	0	0	0
दिल्ली	55	13	5	44	49
जम्मू और कश्मीर	4	0	0	6	6
लद्दाख					
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
पुदुचेरी	0	0	0	0	0
कुल	**3713**	**1555**	**1672**	**1495**	**3167**

कलैंडर वर्ष 2021 के दौरान गड्ढों के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों की राज्यवार संख्या का विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दुर्घटनाएं	मौतें	गंभीर चोट	मामूली चोट	घायल व्यक्तियों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	25	13	11	19	30
असम	187	55	197	22	219
बिहार	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ	15	4	1	9	10
गोवा	0	0	0	0	0
गुजरात	8	5	4	4	8
हरियाणा	102	38	12	72	84
हिमाचल प्रदेश	20	11	13	30	43
झारखंड	97	77	47	11	58
कर्नाटक	67	16	44	34	78
केरल	16	6	11	8	19
मध्य प्रदेश	711	220	151	578	729
महाराष्ट्र	33	14	45	8	53
मणिपुर	6	0	6	3	9
मेघालय	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0
नागालैंड	15	3	3	6	9
ओडिशा	213	93	117	49	166
पंजाब	114	77	50	29	79
राजस्थान	69	23	19	55	74
सिक्किम	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	459	109	128	297	425
तेलंगाना	87	29	3	65	68
त्रिपुरा	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	1254	649	481	335	816
पश्चिम बंगाल*	64	28	41	11	52
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2	2	0	0	0
दिल्ली	56	9	5	63	68
जम्मू और कश्मीर	4	0	0	6	6
लद्दाख	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
पुदुचेरी	1	0	0	0	0
कुल	**3625**	**1481**	**1389**	**1714**	**3103**

कलैंडर वर्ष 2022 के दौरान गड्ढों के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों की राज्यवार संख्या का विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दुर्घटनाएं	मौतें	गंभीर चोट	मामूली चोट	घायल व्यक्तियों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	20	15	15	7	22
असम	319	117	275	26	301
बिहार	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ	40	7	0	45	45
गोवा	0	0	0	0	0
गुजरात	0	0	0	0	0
हरियाणा	130	47	5	131	136
हिमाचल प्रदेश	2	2	0	2	2
झारखंड	56	34	19	14	33
कर्नाटक	55	19	36	20	56
केरल	25	1	19	11	30
मध्य प्रदेश	759	199	90	718	808
महाराष्ट्र	4	4	1	0	1
मणिपुर	5	3	0	8	8
मेघालय	1	0	1	0	1
मिजोरम	2	2	1	1	2
नागालैंड	12	1	5	3	8
ओडिशा	158	69	106	35	141
पंजाब	84	60	37	9	46
राजस्थान	98	51	36	61	97
सिक्किम	1	0	1	1	2
तमिलनाडु	446	107	109	252	361
तेलंगाना	153	40	12	117	129
त्रिपुरा	1	1	1	0	1
उत्तराखंड	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	1986	1030	905	516	1421
पश्चिम बंगाल*	44	34	25	21	46
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	1	1	0	0	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	7	4	3	0	3
दिल्ली	28	7	2	22	24
जम्मू और कश्मीर	7	0	0	9	9
लद्दाख	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
पुदुचेरी	2	1	1	0	1
कुल	**4446**	**1856**	**1705**	**2029**	**3734**

कलैंडर वर्ष 2023 के दौरान गड्ढों के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों की राज्यवार संख्या का विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दुर्घटनाएं	मौतें	गंभीर चोट	मामूली चोट	घायल व्यक्तियों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	29	11	19	14	33
असम	271	79	226	26	252
बिहार	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ	22	10	1	20	21
गोवा	0	0	0	0	0
गुजरात	0	0	0	0	0
हरियाणा	117	50	52	31	83
हिमाचल प्रदेश	18	7	11	38	49
झारखंड	48	38	26	4	30
कर्नाटक	237	68	152	152	304
केरल	6	1	5	0	5
मध्य प्रदेश	1205	177	261	1034	1295
महाराष्ट्र	61	29	27	18	45
मणिपुर	2	1	0	2	2
मेघालय	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0
ओडिशा	144	61	118	34	152
पंजाब	89	68	26	7	33
राजस्थान	90	37	37	69	106
सिक्किम	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	620	159	341	323	664
तेलंगाना	157	14	6	127	133
त्रिपुरा	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	1	1	0	1	1
उत्तर प्रदेश	2632	1320	1322	695	2017
पश्चिम बंगाल*	41	22	25	8	33
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0
दिल्ली	22	5	5	17	22
जम्मू और कश्मीर	4	0	0	4	4
लद्दाख	24	3	6	19	25
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
पुदुचेरी	0	0	0	0	0
कुल	**5840**	**2161**	**2666**	**2643**	**5309**

कलैंडर वर्ष 2024 के दौरान गड्ढों के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों की राज्यवार संख्या का विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दुर्घटनाएं	मौतें	गंभीर चोट	मामूली चोट	घायल व्यक्तियों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	28	17	12	8	20
असम	197	87	165	14	179
बिहार	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ	36	9	4	23	27
गोवा	0	0	0	0	0
गुजरात	10	6	8	1	9
हरियाणा	84	51	28	35	63
हिमाचल प्रदेश	63	19	26	72	98
झारखंड	54	32	29	4	33
कर्नाटक	93	24	53	65	118
केरल	11	1	8	1	9
मध्य प्रदेश	1069	277	147	857	1004
महाराष्ट्र	75	43	53	12	65
मणिपुर	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0
नागालैंड	1	1	0	0	0
ओडिशा	168	85	99	50	149
पंजाब	150	131	47	12	59
राजस्थान	91	56	39	68	107
सिक्किम	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	360	109	106	274	380
तेलंगाना	86	27	12	74	86
त्रिपुरा	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2727	1369	1371	738	2109
पश्चिम बंगाल*	41	24	21	15	36
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	1	0	0	0
दिल्ली	84	16	10	79	89
जम्मू और कश्मीर	3	0	0	3	3
लद्दाख	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
पुदुचेरी	0	0	0	0	0
कुल	**5432**	**2385**	**2238**	**2405**	**4643**
